

## होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश आदेश

क्रमांक 1-16/ /गोशा0/(3)/ 2010/ जबलपुर , दिनांक -03-2010.

श्रीमती हेलेन विलियम, (अनारक्षित वर्ग) सीनियर आडीटर, (सूबेदार "एम.") होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय म0प्र0 जबलपुर को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 में कार्यालय अधीक्षक (निरीक्षक "एम") के पद पर पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय म0प्र0 जबलपुर में ही कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है।

2- प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है, तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

(एच0के0सरीन)

डायरेक्टर जनरल,

होमगार्ड, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1-16/ /गोशा0/(3)/ 2010/ जबलपुर , दिनांक -03-2010.

### प्रतिलिपि:-

- 1- सीनियर स्टाफ आफीसर(स्था0) होमगार्ड, मुख्यालय म0प्र0।
- 2- जूनियर स्टाफ आफीसर(स्था0) होमगार्ड, मुख्यालय म0प्र0।
- 3- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर।
- 4- लेखापाल, होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर।
- 5- कार्यालय प्रमुख शाखा, /स्था0(3) होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- संबंधित को पालनार्थ।

(एच0के0सरीन)

डायरेक्टर जनरल,

होमगार्ड, मध्यप्रदेश

### आन्तरिक:-

पी0एस0टू0डी0जी0

पी0ए0टू0आई0जी0

समस्त अधीक्षक/सहा0अधीक्षक/आडीटर

गोशा0 (1) स्था0 (1)/रिकार्ड/ए0सी0आर0 शा0

बजट शाखा/पेंशन शाखा

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश  
आदेश

क्रमांक 1-16/ /गोशा0/(3) 2010/ जबलपुर , दिनांक -02-2010.

श्री शंकर सिंह, आरक्षक वाहन चालक, (अनुसूचित जन जाति वर्ग) कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड, इंदौर को मुख्य आरक्षक वाहन चालक के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2100 में पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड सीहोर में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है।

2- प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है, तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

सही /-  
(एचकेसरीन)

डायरेक्टर जनरल,

होमगार्ड, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1-16/ /गोशा0/(3) 2010/ जबलपुर , दिनांक -02-2010.

प्रतिलिपि:-

- 1- डिवीजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड इंदौर/भोपाल को सूचनार्थ।
- 2- डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड इंदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया श्री शंकर सिंह, आरक्षक वाहन चालक, होमगार्ड, इंदौर को पदोन्नति पद पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर अवगत करावें।
- 3- डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड सीहोर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया संबंधित की उपस्थिति से अवगत करावें।
- 4- स्था0(2) होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित को पालनार्थ।

(संगीता शाक्य)

सीनियर स्टाफ आफीसर,(स्था.)

होमगार्ड, मुख्यालय म0प्र0

जबलपुर

आन्तरिक:-

पी0एस0टू0डी0जी0

पी0ए0टू0आई0जी0 / पी0ए0टू0उ0म0नि0 / ए0सी0जी0

एस0एस0ओ0 / जे0एस0ओ0 / समस्त अधीक्षक / सहा0अधीक्षक / आडीटर

गो0शा0 (1) स्था0 (1) / रिकार्ड / ए0सी0आर0 शा0

बजट शाखा / पेंशन शाखा

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश  
आदेश

क्रमांक 1-16/ /गोशा0/(3) 2010/ जबलपुर , दिनांक -03-2010.

श्री भूरेलाल बिरनार, मुख्य आरक्षक वाहन चालक (अनुसूचित जाति) कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड, झाबुआ को प्लाटून कमाण्डर (एम0टी0) के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 में पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय डिवीजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड, इंदौर में पदस्थ किया जाता है।

2- प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है, तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

(हेमन्त सरीन)

डायरेक्टर जनरल,  
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1-16/ /गोशा0/(3) 2010/ जबलपुर , दिनांक -03-2010.

प्रतिलिपि:-

- 1- डिवीजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड, इंदौर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया संबंधित की उपस्थिति से मुख्यालय को अवगत करावें।
- 2- डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड, झाबुआ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया संबंधित को पदोन्नति पद पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर मुख्यालय को अवगत करावें।
- 3- एम0टी0आई0, होमगार्ड, मुख्यालय को सूचनार्थ।
- 4- स्थापना शा0(2) होमगार्ड, मुख्यालय को सूचनार्थ।
- 5- संबंधित को पालनार्थ।

(हेमन्त सरीन)

डायरेक्टर जनरल,  
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

आन्तरिक:-

पी0एस0टू0डी0जी0  
पी0ए0टू0आई0जी0  
पी0ए0टू0उ0पु0म0नि0  
पी0ए0टू0ए0सी0जी0/एस.एस.ओ.  
जे.एस.ओ/समस्त अधीक्षक/सहा0अधीक्षक  
स्था0 (1)ए/रिकार्ड/एसीआर शा0

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

// आदेश //

क्रमांक 1-16 /

/ गोशा0(3) / 2010,

जबलपुर

दिनांक-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 / 2597 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक 18-03-2009 के परिपालन में श्री रमेश प्रसाद सेन, आरक्षक, कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड जबलपुर को मुख्यालय के आदेश क्रमांक एक-13 / 9808 / स्था / (5) / 94 दिनांक 09-12-1994 के अनुसार "काम नहीं दाम नहीं" के आधार पर हवलदार स्टोरमेन के पद पर वेतनमान 5200-20200+2100 में नोशनल पदोन्नत कर कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड इंदौर में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है।

2 / उपरोक्त पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री रमेश प्रसाद सेन, आरक्षक की हवलदार स्टोरमेन के पद पर वरिष्ठता श्री सुखचैन दास के नीचे एवं श्री पन्ना लाल रजक के ऊपर निर्धारित होगी।

(एच0के0सरीन)

डायरेक्टर जनरल,  
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

पृ0क्र.1-16 /  
प्रतिलिपि:-

/ गोशा0(3) / 2010,

जबलपुर

दिनांक-

- 1- डिवीजनल होमगार्ड जबलपुर / इंदौर को सूचनार्थ।
- 2- डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया श्री रमेश प्रसाद सेन को पदोन्नत पद पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर अवगत करावें।
- 3- डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड इंदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया श्री रमेश प्रसाद सेन को पदोन्नत पद पर उपस्थिति की जानकारी प्रेषित करें।
- 4- गोशा0(1) / स्था(2), होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित को पालनार्थ।

(एच0के0सरीन)

डायरेक्टर जनरल,  
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

आन्तरिक:-

पी.एस.टू डी.जी.

पी.ए.टू आई.जी.

पी.ए.टू डी.आई.जी. / ए.सी.जी.

एस.एस.ओ. / जे.एस.ओ. / समस्त अधीक्षक / सहायक अधीक्षक

आडीटर / गोशा0(2) / स्था0(1)ए / रिकार्ड शाखा

बजट शाखा / पेंशन शाखा